अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 09.04.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काविज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरणा हाजा में मौजा गुगरियाली के वादग्रस्त खेतायों में वादीगण संख्या 1 व 2,4 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 सहखातेदार के रूप में संयोजित होकर वादी संख्या 3 के साथ खातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते है इसलिये वादी संख्या 1 व 2,4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नं. 433/634 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 0.0405 गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 485/628 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485/631 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485/633 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में वादी संख्या 3 भगवानसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। मुतदाविया खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गयी है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत है। इसलिये नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अतः हम वादी का वाद स्वीकार कर मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नं. 433/634 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 0.0405 गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 485/628 रकबा 1.0926 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 व 2,4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रकरण हाजा में वादीगण/वादी द्वारा चाही गई इस्तदुआ घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नं. 433/634 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 0.0405 गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नंबर 485/628 रकबा 1.0926 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 व 2,4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुगरियाली का खेत खसरा नंबर 485/633 रकबा 2.0558 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485/628 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485/631 रकबा 1.6187 रखा जाकर सहखातेदार घोषित किया जाता है।
2. मौजा गुगरियाली के शेष खेताय 433/634 रकबा 0.04209 हैक्टेयर, खसरा नंबर 484 रकबा 0.0405 गैर मुमकिन ढाणी यथावत वादी संख्या 3 भगवानसिंह की खातेदारी में रखे जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम कोई हक बंट भूमि नहीं रखी गयी है इसलिये मुतदाविया खेतायों में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की नियमानुसार स्टाम्प शुल्क ड्यूटी जमा करवाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01/9/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner